

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 96/10

संस्थित दिनांक-26.02.10

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद  
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

- 1- रामौतार पुत्र पातीराम जाटव उम्र 46 साल
  - 2- राजवीर पुत्र पातीराम जाटव उम्र 30 साल ———फरार
  - 3- रामनिवास पुत्र पातीराम जाटव उम्र 34 साल
  - 4- कमलेश पुत्र पातीराम जाटव उम्र 25 साल
- निवासीगण ग्राम कढोरे का पुरा थाना गोहद .....अभियुक्तगण

—:: निर्णय ::—

**{आज दिनांक 11.11.2016 को घोषित}**

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16.02.10 को 11:30 बजे रात्रि फरियादी के ट्यूब बैल ग्राम सड में सामान्य आशय के अग्रशरण में रामसहाय को धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 294, 325, 506 सहपठित धारा 34 के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। साथ ही यह भी स्वीकृत है कि अभियुक्त राजवीर के फरार होने से यह निर्णय केवल उपस्थित अभियुक्तगण के संबंध में पारित किया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 16.02.10 को रात्रि करीब 11:30 बजे अभियुक्तगण लाठी लिए फरियादी रामसहाय के ट्यूब बैल पर आए और बोले मादरचोद तूने वोट नहीं दिए, तुझे देखते हैं, चारों ने लाठियों से मारपीट कर दी जिससे फरियादी को चोटें आईं। रामौतार ने साफी गला दबाया, चिल्लाने पर राजेन्द्र, रूपसिंह व रायसिंह पहुंचे, जाते हुए कह रहे थे कि अगर रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क्र०-46/10 पंजीबद्ध किया गया। दौराने अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक बनाए गए। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न होने से दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं किया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या दिनांक 16.02.10 को 11:30 बजे रात्रि फरियादी रामसहाय को धारदार हथियार से चोट मौजूद थी।

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान फरियादी के ट्यूब बैल ग्राम सड़ नामक स्थान पर उसे उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मितकर धारदार वस्तु से स्वेच्छा उपहति कारित की ?

**--:: सकारण निष्कर्ष ::--**

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1, रमाकांत शुक्ला अ०सा० 2, रामसहाय अ०सा० 3, रायसिंह अ०सा० 4, रूपसिंह अ०सा० 5 तथा राजेन्द्र अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

7. फरियादी रामसहाय अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि घटना उनकी साक्ष्य दिनांक 22.10.16 से 5-6 साल पहले फरवरी माह की रात 11:30-12 बजे की है। वे रात में अपने ट्यूब बैल पर पानी देने के लिए रुके थे वहां पर उनके साथ आरोपीगण का मुंहवाद हो गया। आरोपीगण से धक्का मुक्की चुनावी बात के संबंध में हो गयी। वह वहां रखे पत्थर आदि पर गिर गया जिससे उसे पैरों व पुट्टे पर चोट आई। इसी बात की रिपोर्ट उसने थाना गोहद में की, रिपोर्ट प्र०पी० 4 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर बताते हैं। इस प्रकार से फरियादी अपने अभिसाक्ष्य में संहिता की धारा 324 के उपबंधित किसी आयुध या तरीके से चोट कारित होने के संबंध में कथन नहीं करते हैं। प्र०पी० 4 की प्राथमिकी में घटना के साक्षी राजेन्द्र, रूपसिंह व रायसिंह लेख किए गए हैं। उक्त साक्षी रायसिंह अ०सा० 4, रूपसिंह अ०सा० 5 तथा राजेन्द्र अ०सा० 6 अपने मुख्य परीक्षण में चिल्लाने की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचने तथा फरियादी और अभियुक्तगण का मुंहवाद होने पर अभियुक्तगण द्वारा लातघूसों से मारपीट कर देने के संबंध में कथन करते हैं।

8. प्रकरण में प्राथमिकी लेखक रमाकांत शुक्ला अ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि दिनांक 17.02.10 को थाना गोहद में प्र०आ० लेखक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को फरियादी रामसहाय पुत्र भीमसेन बघेल ने अपने भाई रूपसिंह व राजेन्द्र के टेक्टर से घायल अवस्था में आकर अभियुक्तगण के विरुद्ध मारपीट की रिपोर्ट की थी जिसे उन्होंने अप०क्र०-46/10 पर पंजीबद्ध किया था, रिपोर्ट प्र०पी० 4 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। साथ ही आहत का

मुलाहिजा फार्म भरकर मेडीकल परीक्षण हेतु अस्पताल गोहद भेजने का भी कथन करते हैं। डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि दिनांक 17.02.10 थाना गोहद से आरक्षक क० 667 द्वारा लाए जाने पर फरियादी रामसहाय का चिकित्सीय परीक्षण करने पर दाएं पैर के बीच में एक तिहाई भाग में 2.5 गुणा 0.5 गुणा 0.3 सेमी० का कटा हुआ घाव पाया था और अपने अभिमत में चोट क० 1 धारदार वस्तु से आना संभव होने की सुसंगत राय दी है। प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि व्यक्ति कृषि कार्य में उपयोग होने वाले फावड़ा या हल पर गिर जाए तो आहत को आई चोटों के समान चोटें कारित होना संभव है।

9. फरियादी द्वारा घटनास्थल उसका ट्यूब बैल अर्थात् खेतों में बताया है। नक्शामौका प्र०पी० 7 के अनुसार घटनास्थल के पास कुंआ आदि बना हुआ दर्शाया गया है। ऐसे में कुएं के आसपास कृषि कार्य में उपयोग होने वाली वस्तुएं रखा होना स्वाभाविक तथ्य है। फरियादी रामसहाय अ०सा० 1 अपने परीक्षण में पत्थरों पर गिरने से उसे पैर में चोट आना बता रहे हैं और प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार करते हैं कि उन्हें आई चोट मारपीट से आई थी। ऐसे में स्वयं फरियादी द्वारा घटना में किसी आयुध के उपयोग किए जाने के संबंध में इंकार किया गया है और घटना की सत्यता को प्रश्नचिन्हित किया है। प्र०पी० 4 की प्राथमिकी में किसी धारदार या घातक आयुध या ऐसे आयुध जिसका घातक आयुध के रूप में प्रयोग करने से मृत्यु कारित होना संभव हो, का उल्लेख नहीं किया गया है। फरियादी रामसहाय द्वारा उसके पुलिस कथन प्र०पी० 5 के संपूर्ण विनिर्दिष्ट भाग पुलिस को दिए जाने से स्पष्टतः इंकार किया है साथ ही चक्षदर्शी साक्षी रायसिंह अ०सा० 4, रूपसिंह अ०सा० 5 तथा राजेन्द्र अ०सा० 6 द्वारा उनके पुलिस कथनों प्र०पी० 5, 6 व 8 के विनिर्दिष्ट भाग पुलिस को दिए जाने से इंकार किया है। इस प्रकार अनुसंधान कार्यवाही में तात्त्विक विरोधाभास उत्पन्न हुआ है।

11. संहिता की धारा 324 के अधीन उपहति अभियुक्त या अभियुक्तगण द्वारा किसी असन, भेदन, या काटने वाले उपकरण जिसे आकामक आयुध के तौर पर प्रयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ या विष या संक्षारणीय पदार्थ द्वारा या विस्फोटक पदार्थ द्वारा या ऐसे पदार्थ जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव जीवन के लिए हानिकारक हो अथवा किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित की जाती है तो ही उक्त आरोप प्रमाणित हो सकता है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किए जाने के संबंध में अवश्य कथन किया गया है किन्तु उक्त मारपीट उपरोक्त में से किसी रीति से की गयी हो इस संबंध में कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिरोपित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्तगण संदेह के आधार पर दोषमुक्ति का पात्र है। अतः उन्हें उक्त आरोप धारा 324 भादवि० से दोषमुक्त किया जाता है।

12. अभियुक्तगण की जमानत भारमुक्त की जाती है। उनके निवेदन पर मुचलका निर्णय से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।
13. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति के संबंध में निराकरण शेष अभियुक्त राजवीर के निर्णय समय किया जावेगा।
14. प्रकरण में अभियुक्त राजवीर फरार है। अतः प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर प्रकरण नष्ट न करने की टीप अंकित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / -

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही / -

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश